उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 अपील वाद सं0 04/2017.18

लीलमुनी हॉसदा.....अपीलकर्त्ता

बनाम

धननजय मंडल.....उत्तरकारी।

आदेश

14.09.2021

यह रे0मि0 अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के पी0ए0 वाद सं0–609/2006–07 में पारित आदेश दिनांक–07.09.17 के विरूद्ध दायर किया गया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अपीलकर्त्ता के अधिवक्ता का कहना है कि मौजा वरमसिया के प्रधान नियुक्ति हेतु अंचल अधिकारी से प्राप्त जमाबंदी रैयतों की सूची पर आपत्ति आवेदन दाखिल किये जाने पश्चात् भी उत्तरकारी को धारा 5 के अन्तर्गत मौजा का प्रधान पद पर नियुक्त किया गया है। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि मौजा के 89 जमाबंदी में 57 जमाबंदी रैयतों का नाम अंचल अधिकारी द्वारा सूची में समर्पित किया गया है, उनमें से कई जमाबंदी रैयतों का नाम छूट गया है। साथ ही वोटिंग के दिन 2/3 रैयत उपस्थित नहीं थे। अंचल अधिकारी द्वारा समर्पित जमाबंदी रैयतों के छूटे हुए नाम के संबंध में निम्न न्यायालय में आपत्ति आवेदन दाखिल किया गया किन्तु निम्न न्यायालय द्वारा उस पर विचार किए बिना ही उत्तरकारी को मौजा का प्रधान नियुक्त किया गया। नियुक्ति के तिथि को 41 रैयत उपस्थित थे जो 2/3 से कम है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय संगत नहीं है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विलोपित करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत किया।

उत्तरकारी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अंचल अधिकारी द्वारा मौजा के 89 जमाबंदी में 57 रैयतों का नाम सूची में दर्ज करते हुए निम्न न्यायालय में समर्पित किया गया है।

(8)

उपस्थित 41 रैयत 57 रैयत का दो तिहाई से अधिक है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश सही है।

अपीलकर्त्ता के दावों के अनुसार इस न्यायालय द्वारा अंचल अधिकारी जामा से आपत्ति आवेदन की प्रति भेजते हुए जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी जामा द्वारा इस न्यायालय को जमाबंदी रैयतों की सूची समर्पित किया गया है। इस सूची में 89 जमाबंदी में 63 रैयतों का नाम सूची में दर्ज है। इससे स्पष्ट होता है कि पूर्व समर्पित रैयतों की सूची में कुछ लोगो का नाम छूट गया है। उपस्थित रैयत इस न्यायालय में समर्पित रैयतों की सूची के अनुसार 2/3 से कम है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विलोपित करते हुए वाद को अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका को इस निदेश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि इस न्यायालय में समर्पित जामाबंदी रैयतो की सूची के अनुसार पुनः 2/3 रैयतो की उपस्थिति में मतदान कर प्रधान की नियुक्ति नियमानुसार की जाय। अंचल अधिकारी जामा द्वारा समर्पित सूची को प्रति भेजा जाता है।

2438 dt 25/x/21

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त,
दुमका।

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.07 14:16:05 +05:30
Location: 169.254.227.244